



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक-

75 /कोटा 1988 -89

यह प्रमाणित किया जाता है कि उमा ऐन्ज्यूकेशन सोसाइटी कोटा

जिला-कोटा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1958 [राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958] के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक अठारह माह दिसम्बर सन् एक हजार नौ सौ अठारसी को कोटा
में दिया गया ।



[Signature]

॥ के०बी०सक्सेना ॥

रजिस्ट्रार

संस्थाएँ कोटा (राजस्थान)